भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 318

दिनांक 24 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति

318. श्री मनोज कुमार झा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

(क) क्या भारत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के स्तर का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) ने दिव्यांग बालकों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(ड.) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) प्रणाली के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह सच है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) द्वारा उनके रोजगार और वेतन की स्थिति के संबंध में मांगें उठाई गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण के स्तर का आकलन करने के लिए समय-समय पर अध्ययन किए गए हैं। इस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) द्वारा प्रकाशित कुछ हालिया रिपोर्टें इस प्रकार हैं:

i. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केंद्रों की रिपोर्ट (अप्रैल 2016 - मार्च 2017)
ii. आईसीडीएस की निगरानी और पर्यवेक्षण (2015-2016)
iii. आईसीडीएस की निगरानी और पर्यवेक्षण (2014-2015)
iv. आईसीडीएस में लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का अध्ययन (2014-2015)
v. केंद्रीय निगरानी इकाई (सीएमयू) सलाहकारों (2013-14) के निगरानी दौरों पर आधारित गुणात्मक रिपोर्ट- असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
vi. आईसीडीएस योजना 2013-14 की निगरानी और पर्यवेक्षण

(ग) और (घ): निपसिड राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) को प्रशिक्षण प्रदान करता है जो फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करते हैं। निपसिड के दिल्ली में मुख्यालय सहित छह केंद्र हैं। निपसिड के पांच क्षेत्रीय केंद्र (i) गुवाहाटी (ii) बेंगलुरु (iii) लखनऊ (iv) इंदौर और (v) मोहाली में हैं। जून, 2024 तक देश भर में कुल 1877 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण भी पढ़ाई भी के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षित किया गया है।

(ङ): वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, योजना के सामान्य घटक (मानदेय, बीमा, वर्दी, दवा किट, प्रशिक्षण आदि) के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिका प्रणाली के लिए 9108.14 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, जिसमें से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 8602.09 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(च) और (छ): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से "अवैतनिक कार्यकर्ता" हैं जो समुदाय की मदद के लिए बाल देखदेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जिसके लिए केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच लागत साझेदारी के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 4,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिका को 2,250 रुपये प्रति माह मानदेय का भुगतान किए जाने के साथ ही आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये का प्रोत्साहन भी उनके कार्य के आधार पर दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं, जो हर राज्य में अलग-अलग है।

इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये की जीवन सुरक्षा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर) हेतु बीमा लाभ प्रदान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक किंतु स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा कवर प्रदान किया गया है।

****